राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.2(4)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक : 5/2/2015

:: अधिसूचना ::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतदद्वारा, पूर्व में सृजित एवं स्थापित समस्त पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर उनकी क्षैत्राधिकारिता महानगर/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमाक्षैत्र तक यथा लागू सीमित करती है। साथ ही उक्त सीमा क्षेत्र को छोडकर शेष राजस्व जिला क्षेत्र की पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकारिता, संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले जिला न्यायालय/ अपर जिला न्यायालय/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रदान की जाती है।

राज्यपाल के आदेश से,

Sd/-

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक. Gen/II/1/85(s)/ 202 दिनांक 07 /2/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय
2. समस्त पारिवारिक न्यायालय
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ की उक्त अधिसूचना की प्रति उनके समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को भी भिजवावे।
4. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक (गोपनीय/ साख्यिकी/ बजट/ भवन/ आर.जे.एस. (स्था.)/ अधीनस्थ न्यायालय (स्था.)), राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपर

रजिस्ट्रार (नियम)